



# राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नः 0141-2228059, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल: rmsc.supply2@gmail.com

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2020/१२२ दिनांक : ०५/०८/२०२०

## कार्यालय आदेश

M/s Hi-Care Polymers Pvt. Ltd., Palakuzha P.O., Koothattukulam, Ernakulam को सर्जिकल की निविदा क्रमांक F.02(55)/RMSC/Proc./S&S(Non Drug)/NIB-04/2018/128 दिनांक 03.04.2018 के तहत Rubber Examination Gloves, Non Sterile, Extra small (code no. S90.a) के क्रयादेश क्रमांक 3802 दिनांक 06.03.2020 के द्वारा 96200 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 444 दिनांक 08.05.2020 के द्वारा 233600 मात्रा, Rubber Examination Gloves, Non Sterile, size small (code no. S90.b) के क्रयादेश क्रमांक 3832 दिनांक 06.03.2020 के द्वारा 145900 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 442 दिनांक 08.05.2020 के द्वारा 315900 मात्रा, Rubber Examination Gloves, Non Sterile, size medium (code no. S90.c) के क्रयादेश क्रमांक 4144 दिनांक 31.03.2020 के द्वारा 1439700 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 440 दिनांक 08.05.2020 के द्वारा 2447200 मात्रा तथा Rubber Examination Gloves, Non Sterile, size Large (code no. S90.d) के क्रयादेश क्रमांक 4146 दिनांक 31.03.2020 के द्वारा 496800 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 441 दिनांक 08.05.2020 के द्वारा 852800 मात्रा 45 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे।

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त सर्जिकल Rubber Examination Gloves, Non Sterile, Extra small (code no. S90.a), Rubber Examination Gloves, Non Sterile, size small (code no. S90.b), Rubber Examination Gloves, Non Sterile, size medium (code no. S90.c) एवं Rubber Examination Gloves, Non Sterile, size Large (code no. S90.d) के लिए जारी क्रयादेशों के विरुद्ध आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्तिकर्ता फर्म को पत्रांक क्रमशः 601, 602, 603 एवं 604 दिनांक 23.06.2020 द्वारा नोटिस जारी किया गया। उक्त सर्जिकल Rubber Examination Gloves, Non Sterile, Extra small (code no. S90.a), Rubber Examination Gloves, Non Sterile, size small (code no. S90.b), Rubber Examination Gloves, Non Sterile, size medium (code no. S90.c) एवं Rubber Examination Gloves, Non Sterile, size Large (code no. S90.d) COVID-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु अति-आवश्यक है। प्रकरण को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक 04.08.2020 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया। अनुशासनात्मक समिति ने विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से Rubber Examination Gloves, Non Sterile, Extra small (code no. S90.a), Rubber Examination Gloves, Non Sterile, size small (code no. S90.b), Rubber Examination Gloves, Non Sterile, size medium (code no. S90.c) एवं Rubber Examination Gloves, Non Sterile, size Large (code no. S90.d) के दो क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी सर्जिकल आइटम की दी गई मात्रा के अनुसार आपूर्ति नहीं की गई है, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लंघन है।

अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 14(18) के अनुसार निर्माता फर्म M/s Hi-Care Polymers Pvt. Ltd., Palakuzha P.O., Koothattukulam, Ernakulam को सर्जिकल Rubber Examination Gloves, Non Sterile, Extra small (code no. S90.a), Rubber Examination Gloves, Non Sterile, size small (code no. S90.b), Rubber Examination Gloves, Non Sterile, size medium (code no. S90.c) एवं Rubber Examination Gloves, Non Sterile, size Large (code no. S90.d) के लिये यह आदेश जारी



करने की दिनांक से एक वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है तथा उक्त सर्जिकल कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु अति आवश्यक है, अतः उपापन शाखा द्वारा उक्त सामग्री अन्य सप्लायर से क्रय करने हेतु निविदा की शर्त संख्या 14(9) के अर्न्तगत रिस्क एण्ड कॉस्ट की कार्यवाही कर सामग्री का उपापन किया जावे। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(डॉ. प्रीतम बी. यशवन्त)

आई.ए.एस.

प्रबन्ध निदेशक

दिनांक : 05/08/2020

क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2020 922

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तरप्रदेश।
4. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
6. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, केरल।
7. Drug Controller General (India) New Delhi
8. औषधि नियंत्रक राजस्थान/केरल।
9. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/वित्त/लॉजिस्टिक्स), आरएमएससीएल जयपुर।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेंट) को भेजकर लेख है कि उक्त सामग्री अन्य सप्लायर से क्रय करने हेतु निविदा की शर्त संख्या 14(9) के तहत रिस्क एण्ड कॉस्ट की कार्यवाही कर सामग्री का उपापन किया जावे।
11. कार्यकारी निदेशक (वित्त)/कनिष्ठ लेखाकार, गुणवत्ता नियंत्रण (भुगतान) को भेजकर लेख है कि फर्म की सिक्योरिटी डिपोजिट/Performance Security/Bank Guarantee/व अन्य भुगतान, उक्त फर्म के रिस्क एण्ड कॉस्ट की राशि की वसूली के उपरान्त ही किये जावे।
12. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससीएल।
13. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
14. M/s Hi-Care Polymers Pvt. Ltd., Palakuzha P.O., Koothattukulam, Ernakulam
15. गार्ड फाईल

विशेषाधिकारी  
आर.एम.एस.सी.